न्यायालय मोटर दावा दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, दूदू, जिला जयपुर

राजेन्द्र बनाम रामधन व अन्य

मुकदमा संख्या 179/2022

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
09.09.2023	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री **हनुमान चौधरी** एवं अप्रार्थी बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्रीमती **मंजूलता शर्मा** ने लोक अदालत की भावना से परस्पर सहमति के आधार पर हस्तगत मोटर दुर्घटना दावा में घायल की चोटों के प्रतिकर बाबत राजीनामा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि क्लेमेंट ने इस अधिकरण में प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा के बाबत बीमा कम्पनी से **1,20,000 अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपए** प्राप्त करने हेतु सहमत है तथा बीमा कम्पनी उक्त राशि की अदायगी हेतु सहमत है। प्रार्थी के अधिवक्ता व बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत राजीनामा पर हस्ताक्षर किए। जिन्हें राजीनामा में अंकित सम्पूर्ण इबारत सुनाई व समझाई गयी तो उक्त इबारत सत्य व सही होना स्वीकार किया एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत करना जाहिर किया। अतः प्रस्तुत राजीनामा तसदीक किया गया जो शामिल मिसल है। चूंकि पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसार राजीनामा प्रस्तुत होकर तसदीक हो चुका है। अतः हस्तगत क्लेम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम अप्रार्थी बीमा कम्पनी के विरूद्ध परस्पर सहमति व लोक अदालत की भावना से राजीनामा करने पर स्वीकार किया जाकर पंचाट इस प्रकार पारित किया जाता है कि क्लेमेंट प्रश्नगत सडक दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप अप्रार्थी बीमा कम्पनी से राजीनामा के मुताबिक **1,20,000 अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपए** प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त राशि दो माह में अदा नहीं करने पर क्लेमेंट बीमा कम्पनी से पंचाट राशि पर आज दिनांक **09.09.2023** से भुगतान होने की तिथि तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। याचिका के शेष अप्रार्थीगण को प्रतिकर की अदायगी से मुक्त किया जाता है। क्लेमेंट ने अंतरिम प्रतिकर राशि का पूर्व में भुगतान प्राप्त नहीं किया है। अतः क्लेमेंट राशि **1,20,000 अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपए** मात्र प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने बावजूद हिदायत क्लेमेंट् का खाता विवरण पेश नहीं किया। अतः अप्रार्थी बीमा कम्पनी राशि **1,20,000 अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपए** न्यायाधिकरण के आरएमजीबी बैंक खाता संख्या– 83055610426 IFSC Code RMGB0000418 में जरिए NEFT/RTGS जमा करवाकर पालना रिपोर्ट नियमानुसार न्यायालय को भिजवाएं। अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उक्त प्रतिकर राशि इस न्यायाधिकरण के उपरोक्तानुसार बैंक खाते में जरिए NEFT/RTGS जमा करवा देने पर प्रार्थी/क्लेमेंट को भुगतान निम्न पंचाट के अनुसार किया जावेः– क. सं. | प्रार्थी का नाम | बचत खाते में जमा योग्य राशि | सावधि जमा खाते में जमा योग्य राशि | सावधि जमा की अवधि 1 | राजेन्द्र | 1,20,000/– | | | | | | | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।	